फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री भेरूसिंह सोडा पुत्र श्री विजय सिंह सोडा, ग्राम–केलवा, तह0 व जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 49/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.09.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार, गढबोर द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0/2020/490–91 दिनांक 15.09.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री भेरूसिंह सोडा पिता श्री विजयसिंह सोडा एच/ओ.के.एल. के गॉव केलवा तहसील व जिला राजसमंद के द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2020/528–29 दिनांक 17.07.2020 की पालना में प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को उनके द्वारा आवेदित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु रिकार्ड पटवार मण्डल उमरवास से संबंधित होने से पटवारी हल्का उमरवास को इस कार्यालय के पत्रांक भू. अ./सू.अधि0, 05/2020/373–75 दिनांक 11.08.2020 से निर्देशित कर प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को जरिये रजिस्टर्ड डाक के दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित द्वारा वांछित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु प्रति भिजवाई गई। इसी के साथ लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2020/530–31 दिनांक 17.07.2020की पालना में प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को उनके द्वारा आवेदित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु रिकार्ड पटवार मण्डल उमरवास से संबंधित होने से पटवारी हल्का उमरवास को इस कार्यालय के पत्रांक भू. अ./सू.अधि0, 05/2020/382–84 दिनांक 11.08.2020 से निर्देशित कर प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को जरिये रजिस्टर्ड डाक के दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित द्वारा वांछित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु प्रति भिजवाई गई। पटवारी हल्का उमरवास द्वारा दिनांक 15.09.20 को सूचना दी गई जिसके अनुसार प्रार्थी श्री भैरूसिंह दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नही हुए तथा दिनांक 10.09.20	

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

तक भी पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नही हुए। पटवारी हल्का द्वारा भी दिनांक 11.09.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को सूचित किया गया कि वे कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड का निरीक्षण करें तथा वांछित रिकार्ड की नियमानुसार प्रतिलिपीयॉ प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थी द्वारा दोनो आवेदनो में राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण एवं प्रतिलिपीयों हेतु कहा गया हैं परन्तु प्रार्थी किन–किन नामांतरणों का निरीक्षण एवं प्रतिलिपीयॉ चाहता हैं यह स्पष्ट नही हैं। इस कारण नियमानुसार देय प्रतिलिपी शुल्क का निर्धारण नही किया हैं। प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण व प्रतिलिपीयॉ देने हेतु प्रार्थी को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित होकर निरीक्षण करें जिससे प्रतिलिपीयॉ उपलब्ध कराई जा सकें। प्रार्थी बाद सूचना भी निरीक्षण एवं प्रतिलिपीयॉ प्राप्त करने हेतु पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नही हुआ हैं। इस कारण से प्रार्थी क्री अपील खारिज करने का की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर के पत्रांक सू.का अधि0/2020/490–91 दिनांक 15.09.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचना बाबत सूचित किया गया कि वे कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड का निरीक्षण करें तथा वांछित रिकार्ड की नियमानुसार प्रतिलिपीयॉ प्राप्त करे। लेकिन प्रार्थी के उपस्थित नही होने से अब तक प्रतिलिपीयॉ उपलब्ध नही कराई गई हैं।

तहसीलदार गढबोर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट बी0पी0एल0 श्रेणी का होने से उनके आर0टी0आई0 आवेदन मे चाही गयी सूचना जो पटवार मण्डल उमरवास तहसील गढबोर के अभिलेख पर उपलब्ध हो वह प्रार्थी को अभिलेख का अवलोकन करा बाद अवलोकन चाही गयी सूचना प्रमाणितशुदा जो हितबद्ध की है वह वांछित सूचना निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करावें । साथ ही प्रार्थी अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में पटवार मण्डल उमरवास मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर व पटवारी हल्का उमरवास को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अचपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)